तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
12/03/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी वकील उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबध में वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया है,जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से वाद–पत्र के साथ हस्तगत आवेदन पत्र पेश किया,जो बाद सुनवाई प्रार्थीगण की विवादित भूमि के संबध में स्थगन आदेश विप्रार्थीगण के विरूद्व पारित किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है और विप्रार्थी आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करते रहते है। उक्त तथ्यों को मदद्वेनजर रखतें हुए प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी हो रखा है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में जारी स्थगन आदेश को ताफैसला कन्फर्म किया जावें। **इसके** विपरीत वकील विप्रार्थी की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है,जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज योग्य है। क्योकि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 42 की नेखमबंदी करवानें के आदेश श्री न्यायालय हाजा से करवाए गए। उक्त आदेश की पालना में नेखमबंदी की कार्यवाही होने पर विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से रकबा 38–18 बीधा भूमि पर प्रार्थीगण का अवैध कब्जा होना पाया गया,उक्त अवैध कब्जो को हटवानें के लिए विप्रार्थी द्वारा धारा 183,188 आर.टी.एक्ट के तहत दावा पेश किया,जो बाद सुनवाई विप्रार्थी का दावा स्वीकार किया गया। उक्त आदेश की पालना [illegible] द्वारा मनगढत तथ्यों के आधार पर वाद लाया गया [illegible] तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण में [illegible] गया है,जो प्रार्थीगण का आवेदन पत्र [illegible] प्रार्थीगण का आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण [illegible]रिज किया जावे। **हमनें** दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि आवेदन–पत्र में वर्णित भूमियों प्रार्थीगण की खातेदारी में इन्द्राज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:08:09 IST
Reason: SelfAttested

Contd.

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

46/2023

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 42 अवस्थित है। विप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी खसरा संख्या 42 की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया,जो मुकदमा संख्या 127/2017 पर दर्ज होकर बाद सुनवाई आदेश दिनांक 03.4.2018 को स्वीकार हुआ तथा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 21.5.2018 को नेखमबंदी मौका पैमाईश कार्यवाही हुए। विप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 183,188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद न्यायालय हाजा में पेश किया गया,जो बाद सुनवाई दिनांक 18.2.2022 को स्वीकार किया गया। इससे स्पष्ट है कि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर प्रार्थीगण का अवैध अतिक्रमण हो रखा है,जो नेखमबंदी मौका फर्द दिनांक 21.5.2018 एवं मुकदमा संख्या 29/2020 निर्णय दिनांक 18.2.2022 अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में जारी स्थगन आदेश से उक्त निर्णय की पालना कार्यवाही रूक नहीं सकती है। क्योंकि स्थगन आदेश प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक ही सीमित है न कि अवैध अतिक्रमण की भूमि तक। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.7.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जा सकता है। लेकिन उक्त स्थगन आदेश से नेखमबंदी एवं धारा 183 आर.टी.एक्ट प्रकरण में पारित निर्णय की पालना कार्यवाही बाधिक नहीं होगी।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.7.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। उक्त स्थगन आदेश मुकदमा संख्या 29/2020 अन्तर्गत धारा 183,188 आर.टी.एक्ट में पारित आदेश दिनांक 18.2.2022 पर प्रभावी नहीं होगा।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:08:09 IST
Reason: SelfAttested

21/5/24

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा